दिल्ली में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं

56. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पिछले चार वर्षों के दौरान 10 वर्ष से कम आयु की लडकियों से बलात्कार की वर्ष-वार कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन अपराधों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को सजा हुई और ऐसे किसी भी मामले में अधिकतम सजा क्या दी गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) दिल्ली में पिछले चार वर्षों के दौरान 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाओं की वर्षवार संख्या और इन मामलों में गिरफ्तार किये गये और दंडित व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है-:—

वर्ष	घटनाओं की सं॰	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सं॰	अब तक दण्डित व्यक्तियों की संख्या
1993	53	50	7
1994	55	55	3
1995	67	66	2
1996	97	84	1

1995 के एक मामले में दी गई अधिकतम सजा मृत्यु दण्ड थी जिसके विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की गई है।

Withdrawal of Assam Rifles from Kangla Fort

57. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Manipuris look upon Kangla Fort, Imphal as the symbol of their identity;

(b) whether it is a fact that Manipuris resent the occupation of Kangla Fort by Assam Rifles;

(c) whether Government would consider moving out the Assam Rifles and converting Kangla Fort into a National Monument;

(d) if so, by when; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) Yes Sir.

(c) to (e) It has been decided by the Government to convert the Kangla Fort into a National Monument. Accordingly, a portion of the Kangla Fort comprising of 37 acres of land with buildings have been vacated. Since the presence of Assam Rifles is an operational necessity in manipur, Assam Rifles will be moved out as soon as alternate accommodation becomes ready for occupation at Kaithalmanbi.

पाकिस्तान सीमा से राजस्थान में अवैध घुसपैठ

58. **श्री ओंकार सिंह लखावत**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान से जुड़ी हुई पाकिस्तान की सीमा से राजस्थान में अवैध रुप से प्रवेश करने वाले कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) पाकिस्तान से जुड़ी सीमा से देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, कितने व्यक्तियों को आरोपित किया गया, उन पर क्या-क्या आरोप लगाए गए और उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई; और

(ग) राजस्थान की सीमा पर कंटीले तार की बाड़ के बावजूद पाकिस्तानी नागरिक इस सीमा को पार करने में क्यों सफल हो रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों से संबंधित स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	राजस्थान में भारत पाक सीमा पर	भारत-पाक सीमा पर
1995	850	1342
1996	646	1161
1997 (अक्तूबर तक)	95	1101

सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकडे गए घुसपैठियों को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु राज्य पुलिस के हवाले कर दिया जाता है।

(ग) राजस्थान में बाड़ लगे इलाके में घुसपैठें बहुत कम होती है जो कि कभी-कभी सीमा बाड़ के नीचे से रेत हटा कर की जाती है। भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) सीमा चौकियों के बीच अन्तर कम करने के लिए विस्तार योजना के तहत अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई हैं तथा तैनात की गई है।

(2) गश्त/नाकाओं को बढ़ा/गहन कर दिया गया है।

(3) जीप और मोटर साईकिलें उपलब्ध करवा कर सीमा गश्त गहन कर दी गई हैं।

(4) घोड़ों, ऊंटों और ट्रैक्टरों पर सवार होकर गश्त लगाई जा रही है।

(5) निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(6) सीमा पर बेहतर सतर्कता रखने के लिए दूरबीनें, धूप के चश्में ट्विन टैलिस्कोप पी०एन०वी० दूरबीनें तथा हैण्ड-हैल्ड सर्च लाईटस उपलब्ध कराई कई हैं।

(7) सीमा पर बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है/की जा रही है।

(8) नदी-तटीय इलाकों में गश्त लगाने के लिए नावें/मोटर बोट्स उपलब्ध कराई गई हैं/ जा रही हैं।

(9) वाहनों द्वारा गश्त लगाने के लिए सीमा सड़कों/ट्रकों का निर्माण विकास किया जा रहा है।

(10) हवाई निगरानी रखने के लिए हैलीकाप्टरों का प्रयोग किया जा रहा है।

राजस्थान में बंगलादेशी नागरिकों का अवैध रूप से रहना

59. **श्री ओंकर सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेशी नागरिक राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे हैं: यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के निकटवर्ती क्षेत्रों में बंगलादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, यदि हां तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें निर्वासित करने की सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की जा रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि बंगलादेशी नागरिक जो पिछले कई वर्षों से एक मस्जिद में मौलवी का कार्य कर रहा था को अजमेर में गिरफ्तार किया गया, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अलग उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण

60. **श्री अजीत जोगी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अलग उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस मामले पर चर्चा करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है?